

धारा 45 : अंतिम विवरणी

प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है और जिसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर दिया गया है, रद्द करने की तारीख या रद्द करने के आदेश की तारीख, जो भी पश्चात्पूर्ति हो, से तीन मास के भीतर ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, एक अंतिम विवरणी प्रस्तुत करेगा।

उपयुक्त नियम: नियम 68 एवं 81

उपयुक्त प्रारूप: प्रारूप जीएसटीआर-3क एवं जीएसटीआर-10
